न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी—उम्मेद सिंह रतनू, आर.ए.एस.

अपील संख्या 42/2025 निर्णय दिनांकः 6-11-25
(जीसीएमएस संख्या 2025/86)

1. मोहनलाल पुत्र हेतराम जाति जाट निवासी 51 एल.एन.पी. तहसील पदमपुर, जिला श्रीगंगानगर हाल वार्ड नम्बर 01 खारी, तहसील लूणकरणसर जिला बीकानेर।

—अपीलांट्

—बनाम—

1. स्टेट ऑफ राजस्थान, जरिये तहसीलदार, खाजूवाला।

—रेस्पोडेन्ट्

अपील विरूद्ध आज्ञा दिनांक 29—08—1998
सहायक आयुक्त उपनिवेशन, छत्तरगढ़ मु. बीकानेर

उपस्थितिः—
1. श्री लेखराम धतरवाल, अभिभाषक अपीलांट्
2. श्री मिलापचन्द, राजकीय अभिभाषक

—निर्णय—

1. अपीलांट ने यह अपील सहायक आयुक्त उपनिवेशन, छत्तरगढ मु. बीकानेर कैम्प पूगल के आदेश दिनांक 29—08—1998 जिसके द्वारा अपीलांट का आवंटन प्रार्थना पत्र बिना सुने एकतरफा तौर पर सबूतों के अभाव में खारिज किया गया है, के विरूद्ध इस न्यायालय में राजस्थान उपनिवेशन (इगानप योजना में सरकारी कृषि भूमि आवंटन व विक्रय नियम) 1975 के नियम 23 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है।

2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट् ने अपनी बहस में बताया कि अपीलांट द्वारा बतौर विशेष आवंटन हेतु चक 22 के.एच.एम. के मुरब्बा नम्बर 139 / 54 के आवंटन हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। उक्त आवेदन पत्र के साथ तमाम सबूत अपीलांट द्वारा प्रस्तुत किये गये थे। अपीलांट द्वारा उक्त कृषि भूमि के आवंटन हेतु आवेदन किये जाने के पश्चात् काफी वर्षो तक अपीलांट को कार्यालय सहायक आयुक्त उपनिवेशन छतरगढ मुकाम बीकानेर व उपखण्ड अधिकारी, पूगल से उक्त आवंटन के संबंध में कोई नोटिस अथवा किसी प्रकार की सूचना प्राप्त नही हुई। अपीलांट द्वारा बार बार अपने आवेदन के संबंध में संबंधित कार्यालय से सूचना चाही। परन्तु उक्त विभाग द्वारा अपीलांट को संतोषजनक जवाब नही मिला। अपीलांट द्वारा अपने आवेदन के संबंध में काफी चाराजोही करने पर अपीलांट को ज्ञात हुआ कि अपीलांट द्वारा अपने आवेदन में चाहा गया मुरब्बा खनिज को आवंटन करने के लिए प्रस्तावित है। उक्त मुरब्बे में जिप्सम है जो खनिज विभाग को आवंटन हेतु राज्य सरकार में विचाराधीन है का हवाला देते हुए अपीलांट का आवेदन खारिज कर दिया गया।

अपीलांट द्वारा जब उक्त रकबे पर विशेष श्रेणी में अपना आवेदन प्रस्तुत किया गया था उस समय उक्त रकबा खनिज विभाग को आवंटन हेतु राज्य सरकार में विचाराधीन होता तो उक्त रकबा राजकीय गजट में विशेष आवंटन श्रेणी में प्रकाशित नही होता। उस समय उक्त रकबा राजकीय गजट में विशेष आवंटन की श्रेणी में आवंटन हेतु प्रकाशित था क्योकि राजकीय गजट में विशेष आवंटन की श्रेणी में उक्त रकबे का प्रकाशन नही होने पर आवंटन विभाग द्वारा कोई आवेदन नही लिया जाता है और ना ही आवेदन शुल्क जमा करवाया जाता है। अपीलांट द्वारा उक्त रकबे बाबत आवंटन शुल्क विभाग द्वारा जमा करवाया गया है। तथा दिनांक 03–02–1997 को अपीलांट को सबूत प्रस्तुत करने के लिए नोटिस जारी किया गया था। इस समस्त तथ्यो से यह साबित है कि उक्त रकबा उस समय विशेष आवंटन श्रेणी में प्रकाशित था।

अपीलांट के उक्त विशेष आवंटन के प्रार्थना पत्र को खारिज करने से पूर्व अपीलांट को किसी प्रकार का कोई नोटिस नही दिया गया था ना ही ऐसा कोई नोटिस अपीलांट पर तामिल हुआ है। इस प्रकार सहायक आयुक्त उपनिवेशन छतरगढ मुकान बीकानेर द्वारा अपीलांट के आवेदन के

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

उक्त रकबे को खनिज विभाग को आवंटन करने के लिए प्रस्तावित है यह कहकर अपीलांट का आवेदन दिनांक 29–08–1998 को निरस्त कर दिया गया। उक्त कार्यवाही एकतरफा एवं अपीलांट को बिना सूने पारित की गई है। अंतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश सहायक आयुक्त उपनिवेशन, छतरगढ़ मुकाम बीकानेर दिनांक 29–08–1998 निरस्त किया जाकर अपीलांट को कृषि भूमि का आवंटन कर आवंटन आदेश जारी किया जावे।

उन्होंने मियांद पर बताया कि अपीलाधीन आदेश एकतरफा क्षेत्राधिकार से बाहर है। जिसमें मियाद अधिनियम बाधक नहीं है। अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश है। अतः अपील अन्दर मियांद घोषित की जावे। अपने कथनों के समर्थन में अभिभाषक अपीलांट ने आरएलडब्ल्यू 2005 (2) आरजे पेज 596 का न्यायिक दृष्टांत पेश किया।

राजस्व अपील अधिकारी सत्यमेव जयते बीकानेर

4. विद्वान राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि अपील मियाद बाहर है। मियांद प्रार्थना पत्र में मियांद कण्डोन करने का कोई संतोषजनक कारण अंकित नहीं किया है। अब अपीलांट किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अतः अपील खारिज फरमाई जावे।

5. विद्वान अभिभाषक अपीलांट की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

प्रकरण में गुणावगुण पर निर्धारण से पूर्व मियाद के बिन्दु को अभिनिर्धारित किया जाना उचित पाते है। जहाँ तक मियांद का प्रश्न है, अपील मियाद अवधि की समाप्ति के पश्चात पेश की गई है। अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है। जिसके खण्डन में रेस्पोडेन्ट द्वारा कोई काउण्टर शपथ पत्र पेश नहीं किया गया है। अपीलाधीन आदेश अपीलांट को बिना सुनवाई एकपक्षीय रूप से पारित किया गया है। न्यायिक दृष्टांत आरएलडब्ल्यू 2005 (2) आरजे पेज 596 में भी अभिधारित किया है कि **"Period of limitation does not run against non-petitioner being ex-**

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

parte order." अतः प्रकरण का निस्तारण मियाद की बजाय गुणावगुणप पर किया जाना श्रेयस्कर है। अतः न्यायहित में विलम्ब कंडोन कर अपील अन्दर मियांद घोषित की जाती है।

प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली व उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। प्रकरण में अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादग्रस्त भूमि चक 22 के.एच.एम. के मुरब्बा नम्बर 139/54 के आवंटन हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। उक्त आवेदन पत्र के तमाम सबूतों के साथ प्रस्तुत किये गये थे। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 29–08–1998 को अपीलांट का प्रार्थना पत्र इस आधार पर खारिज किया गया कि प्रार्थी ने चक 29 बी.एल.डी. के मुरब्बा नम्बर 139/54 की भूमि विशेष आवंटन में आवंटन कराने हेतु आवेदन किया। तहसील से प्राप्त सूची के अनुसार उक्त मुरब्बा जिप्सम विभाग को आवंटन के लिए प्रस्तावित है। इसलिए प्रार्थी का आवेदन खारिज किया जाता है।

अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध प्रार्थी/अपीलांट के आवेदन पत्र का अवलोकन किया गया। अपीलांट द्वारा विशेष आवंटन हेतु तहसील पूगल के चक **22 के.एच.एम.** के मुरब्बा नम्बर 139/54 के लिए आवेदन प्रस्तुत किया गया था। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने आदेशिका दिनांक 29–08–1998 में लिखा गया है कि अपीलांट द्वारा **चक 29 बी.एल.डी.** के मुरब्बा नम्बर 139/54 की भूमि विशेष आवंटन में आवंटन कराने हेतु आवेदन किया गया है। यह भूमि खनिज विभाग को आवंअन हेतु विचाराधीन है। अंतः आवेदन खारिज किया जाता है। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलांट द्वारा चक 22 के.एच.एम. के मुरब्बा नम्बर 139/54 की भूमि बाबत आवेदन अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया था ना कि चक 29 बीएलडी के लिए। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा चक 29 बीएलडी की भूमि को खनिज विभाग को आवटन हेतु विचाराधीन होना बताया है और इस आधार पर चक 22 के.एच.एम. के आवेदन को खारिज कर दिया गया है जो कि विधि संगत नही है।

अपीलांट द्वारा चक 22 के.एच.एम. के मुरब्बा नम्बर 139/54 की भूमि बतौर विशेष आवंटन में आवंटित करवाने हेतु प्रार्थना पत्र अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। उक्त भूमि तत्समय रकबा राज व गजट में विज्ञापित भूमि थी। अपीलांट द्वारा अपनी पात्रता के संबंध में

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

समस्त दस्तावेज अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किये गये थे। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर ऐसी कोई तहसीलदार रिपोर्ट उपलब्ध नही है जिससे अधीनस्थ न्यायालय इस विनिश्चय पर पहुँचा कि प्रश्नगत रकबा खनिज विभाग को आवंटन हेतु विचाराधीन है। अपीलांट द्वारा गजट में विशेष आवंटन हेतु विज्ञापित रकबे के अनुसार आवेदन किया गया था। अतः आवेदन करने में अपीलांट के स्तर पर कोई गलती नही रही। अपीलाधीन आदेश पारित करने में अपीलांट को सुनवाई का अवसर नही दिया गया। यदि अपीलांट को सुनवाई का अवसर दिया जाता तो अपीलाधीन आदेश पारित करने में यह त्रुटि नही होती।

अपीलाधीन आदेश साईक्लोस्टाईल तरीके से पारित किया गया है। यदि यह उपधारणा की जाए कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा त्रुटिवंश चक गलत लिखा गया है। इस सूरत में भी अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर ऐसी कोई तहसीलदार रिपोर्ट उपलब्ध नही है जिससे यह प्रकट होता हो कि खनिज विभाग के आवंटन हेतु कौनसा रकबा विचाराधीन था।

प्रश्नगत रकबा आज भी अराजीराज है। इससे यह उपधारणा की जाएगी कि यह रकबा खनिज विभाग को आवंटन हेतु विचाराधीन नही था। प्रश्नगत रकबा तत्समय गजट में प्रकाशित था। अपीलांट द्वारा इस हेतु आवेदन किया गया था। अपीलांट द्वारा समस्त सबूत पेश किये गये थे। इसके उपरान्त भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को बिना सुनवाई का अवसर दिये हुए गलत चक लिखते हुए साईक्लोस्टाईल तरीके से अपीलाधीन आदेश पारित कर अपीलांट का आवेदन खारिज कर दिया। जो कि पुष्टि योग्य आदेश नही है।

7. अतः उक्त विवेचन के आधार पर अपीलांट् की अपील आंशिक स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी नियमो व अद्यतन परिपत्रो को ध्यान में रखते हुए, प्रश्नगत आराजी यदि किसी अन्य को आवंटित न हो, किसी अन्य कार्य के लिए आरक्षित न हो तो राज्य हित को ध्यान में रखते हुए प्रकरण में नियमानुसार कार्यवाही करे।

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

8. निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 6-11-25 को सरे इजलास सुनाया गया।

(उम्मेद सिंह रतनू)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर